राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(5)ग्राविवि/इ.आ./जिला/2013–14 जयपुर, दिनांकः 2 जुलाई, 2013

–: परिपत्र :–

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना राज्य में वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू की गई। योजना की क्रियान्विति हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ.27(5)ग्राविवि/इं.आ./अनु–5/2011–12 दिनांक 26 अप्रेल, 2011 से दिशा–निर्देश जारी किये गये थे एवं विभागीय पत्रांक प.27(5)ग्राविवि/ई.आ./जिला/ग्रुप–5/2011–12 दिनांक 19 फरवरी, 2013 से योजना के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी विभागीय निर्देशों का अतिक्रमण कर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

पृ.सं.	बिन्दू सं.	पैरा सं.	पूर्व में अंकित निर्देश	संशोधित निर्देश
12	5.4	–	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि "मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्रत्येक आवास में एक ईधन किफायती चूल्हें का प्रावधान हो।	इन निर्देशों को विलोपित किया जाता है।
14	5.7	प्रथम	लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता की प्रथम किश्त प्राप्त होने की तिथि से सामान्यतः एक महिने की अवधि में आवास निर्माण प्रारम्भ कर लगभग 5–6 माह की अवधि में पूर्ण कराना होगा। किसी भी स्थिति में आवास निर्माण में 8–10 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि में आवास को पूर्ण कराना होगा। प्रत्येक स्तर पर आवास निर्माण एवं भुगतान की समय सीमा निम्नानुसार निश्चित की गई है।	सामान्यतः लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता की प्रथम किश्त प्राप्त होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आवास पूर्ण कराना होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 वर्ष में आवास को पूर्ण कराना होगा। प्रत्येक स्तर पर आवास निर्माण एवं भुगतान की समय सीमा निम्नानुसार निश्चित की गई है।
14	5.7	द्वितीय	लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता की प्रथम किश्त प्राप्त होने की तिथि से सामान्यतः 1 माह में आवास का निर्माण प्रारम्भ कर देना होगा तथा आगामी 3 माह की अवधि में आवास का निर्माण लिन्टल लेवल तक कर के द्वितीय किश्त का मांग पत्र–प्रपत्र 3–4 में ग्राम सेवक को प्रस्तुत कर देना होगा। ग्राम सेवक द्वारा 1 सप्ताह में इसका भौतिक सत्यापन कर पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद को भिजवाना होगा। उक्त प्रपत्र के आधार पर जिला परिषद को 10 दिवस में द्वितीय किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित कर देनी होगी। लाभार्थी के खाते में द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त होने के 3 माह में उसे छत एवं खिडकी दरवाजों का कार्य पूर्ण कराना होगा तथा प्रपत्र–5 में पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम सेवक को प्रस्तुत करना होगा। ग्राम सेवक द्वारा 1 सप्ताह में इसका भौतिक सत्यापन कर पंचायत समिति को भिजवाना होगा। विकास अधिकारी को पंचायत समिति के कनिष्ट अभियान्ता से भौतिक सत्यापन कराकर 15 दिवस में जिला परिषद को भिजवाना होगा। उक्त पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर जिला परिषद को 10 दिवस में तृतीय किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित करनी होगी।	लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता की प्रथम किश्त प्राप्त होने की तिथि से सामान्यतः 1 माह में आवास का निर्माण प्रारम्भ कर देना होगा तथा अधिकतम 9 माह की अवधि में आवास का निर्माण लिन्टल लेवल तक पूर्ण कर द्वितीय किश्त का मांग पत्र प्रपत्र 3–4 में ग्राम सेवक को प्रस्तुत कर देना होगा। ग्राम सेवक द्वारा 1 सप्ताह में इसका भौतिक सत्यापन कर पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद को भिजवाना होगा। उक्त प्रपत्र के आधार पर जिला परिषद को 10 दिवस में द्वितीय किश्त की राशि लाभार्थी को हस्तान्तरित कर देनी होगी। लाभार्थी के खाते में द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त होने से 9 माह में उसे छत का कार्य पूर्ण कराना होगा तथा प्रपत्र–5 में पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम सेवक को प्रस्तुत करना होगा। ग्राम सेवक द्वारा 15 दिवस में लाभार्थी के आवास पर लोगो एवं साईन बोर्ड का निर्माण कराकर आवास का फोटो सहित प्रपत्र–5